

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 50/15

संस्थापन दिनांक:-11/02/15

फाईलिंग नं. 233504003452015

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

अमर पिता संतोष चावरिया, उम्र 25 वर्ष,  
निवासी आर.बी.आई. 86 रेल्वे कॉलोनी आमला,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 03.08.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 28.01.2015 को सुबह 11:00 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 14½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 28.01.2015 को प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर को कस्बा में गिरफ्तारी वारंट की तामिली के दौरान सूचना मिली कि बस स्टैंड पर अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिये मिला जिसे मौके पर पकड़कर उसके कब्जे से साक्षियों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त की गयी। अभियुक्त से छुरी रखने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 49/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.01.2015 को सुबह 11:00 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 14½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

5 गोविंदराव कालेकर (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 28.01.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उसने हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 49/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी। साक्षी ने रवानगी का रोजनामचा सान्हा प्रपी-7-सी एवं वापसी सान्हा की प्रति प्रपी-8-सी को प्रमाणित किया है। साथ ही साक्षी ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गयी धारदार छुरी आर्टिकल-ए है।

6 यादोराव (अ.सा.-1) एवं शेख अलीम (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साथ ही साक्षियों ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) एवं शेख अलीम (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि०**

**स्टेट ऑफ एम0पी0 ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है । अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं ।

8 गोविंद कोलेकर (अ.सा.-3) ने दिनांक 28.01.2015 को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिले जाने पर हमराह स्टाफ के साथ बस स्टैंड आमला जाना एवं वहां पर अभियुक्त अमर को हाथ में लोहे की धारदार छुरी लिये लोगों को डराते धमकाते हुए देखा जाना एवं उससे गवाहों के समक्ष छुरी जप्त कर एवं उसे गिरफ्तार करने के उपरांत अपराध पंजीबद्ध करना बताया है । उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 3 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा छुरी सील बंद की गयी थी । उक्त साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि जप्ती पत्रक पर अपराध क्रमांक दर्ज है । स्वतः में उक्त साक्षी ने यह कहा है कि उसने फोन से ही अपराध क्रमांक पूछ लिया था । जप्तशुदा आयुध की नाप के संबंध में उक्त साक्षी ने स्वतः में यह बताया है कि उसने आयुध को टेप से नापा था ।

9 रोजनामचा रवानगी सान्हा प्रदर्श पी-7 सी एवं वापसी सान्हा प्रदर्श पी-8-सी के अवलोकन से दर्शित है कि विवेचक साक्षी गोविंदराव कोलेकर सुबह 10:20 बजे गिरफ्तारी वारंट की तामिली हेतु कस्बा रवाना हुए । वापसी सान्हा के अवलोकन से यह दर्शित है कि रवानगी उपरांत गिरफ्तारी वारंटी जमंत को तलाश किया । तलाश किये जाने पर वह मिला उसे जेएमएफसी न्यायालय में पेश किया गया । तत्पश्चात मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड पर अभियुक्त अमर छुरी लिये लोगों को डरा रहा है । तब उसे बस स्टैंड पहुंचकर हमराह स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया और संपूर्ण कार्यवाही करने के उपरांत थाना वापस आये । जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त अमर से जप्ती सुबह 11:00 बजे की गयी है । इस प्रकार 40 मिनट में रवानगी उपरांत एक अन्य वारंटी को तलाश करना, उसे जेएमएफसी न्यायालय में पेश करना, तत्पश्चात मुखबिर से अभियुक्त अमर के बारे में सूचना मिलना, मौके पर पहुंचना, उक्त संपूर्ण कार्यवाही 40 मिनट में हो जाना प्रथम दृष्टया ही अस्वाभाविक प्रतीत होता है । जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह भी दर्शित नहीं होता है कि जप्तशुदा आयुध को गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया गया हो तथा जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में अपराध क्रमांक का लेख होना जबकि गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) शून्य पर कायम होना, विवेचक साक्षी गोविंदराव कोलेकर द्वारा की गयी कार्यवाही को संदेहास्पद बना

देता है। जप्ती पत्रक में अपराध क्रमांक लेख होने से इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र कार्यवाही के बाद में तैयार किये गये। साथ ही आयुध का गवाहों के समक्ष सील बंद न किये जाने से निश्चायक रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था। इस प्रकार विवेचक साक्षी गोविंदराव कोलेकर की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.01.2015 को सुबह 11:00 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे की धारदार छुरी प्रतिबंधित आकार की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त अमर को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)